संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा

ब्लाक -1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

दूरभाष क्र. – 0771-2253808, फैक्स नं. – 0771-2254234, e-mail-lfacg.cg@nic.in

web site- www.lfa.cg.nic.in

विज्ञप्ति क्रमांक / एल.एफ.ए. / स्था. / 2018 / 955 नया रायपुर दिनांक 20 / 08 / 2018

विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 811 / 2145 / 2015 / स्था. / चार, नया रायपुर दिनांक 02.07.2018 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधीन संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा में सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पद पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा, लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 2016 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रक्रिया अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी एवं पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट www.cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं।

उपरोक्त परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है –

पदनाम– सहायक प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा – 2018

1. **परीक्षा की तिथि – 07 अक्टूबर, 2018, रविवार**
2. **परीक्षा का समय – पूर्वान्ह 10:00 बजे से 01:15 बजे तक**
3. **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 20.08.2018**
4. **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि – 11.09.2018, मंगलवार, रात्रि 11:59 बजे तक**
5. **परीक्षा शहर एवं कोड – 25, रायपुर**
6. **परीक्षा शुल्क– सामान्य वर्ग के लिए – 350/–**
   – अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए – 250/–
   – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए – 200/–

रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान निम्नानुसार है :–

1. सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों का विवरण :–

क्र.	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	सीधी भर्ती के संवर्गवार रिक्त पद			
				कुल रिक्त पद	संवर्ग	मुक्त	योग
1.	सहायक प्रोग्रामर	9300–34800 4300 ग्रेड पे वेतन मैट्रिक्स लेवल –9	तृतीय	01	अनारक्षित	01	01
					योग	01	01

आयु सीमा एवं शैक्षणिक अर्हताएँ

क्र.	पदनाम	न्यूनतम आयु	शैक्षणिक अर्हता
1.	सहायक प्रोग्रामर	18 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए. या बी.ई. (कम्प्यूटर) या बी.टेक. (कम्प्यूटर) उपाधि 2. प्रोग्रामिंग में 01 वर्ष का अनुभव अनिवार्य

यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक रिट पिटी.(सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012, एवं 594/2012, में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश /निर्णय के अध्यधीन होगी।

टीप :–

(i) विज्ञापित पदों की संख्या एवं संवर्ग परिवर्तनीय है।

(ii) पद के समक्ष पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

नियम एवं शर्ते :–

1. दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में आवेदित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से कम नहीं होनी चाहिए एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चहिये।

   आयु की गणना हेतु कांउसिलिंग (councilling) के समय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   आयु में छूट – उच्चतर आयु सीमा में संबंधितों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी, जो कि अधिकतम् 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
3. यदि आवेदक शासकीय, अर्द्धशासकीय सेवा में है तो चयनित होने पर उसे नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयनित होने के बाद अभ्यर्थी द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है, संज्ञान में आने पर तत्काल बर्खास्तगी की कार्यवाही की जावेगी।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं उच्च स्तरीय छानबीन समिति से जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति काउंसलिंग के समय अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रदत्त जाति सत्यापन प्रमाणपत्र के अभाव में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञाप क्र. एफ 13–4/2006/आप्र./1–3, नया रायपुर दिनांक 29.06.2013 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. यह नियुक्ति छ.ग. राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय यथा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ अंबिकापुर एवं संचालनालय नया रायपुर में पदस्थापना दी जायेगी। भविष्य में आवश्यकता अनुसार अन्य किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय/संचालनालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।
7. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें। परीक्षा/ काउंसिलिंग (councilling) में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
8. आवेदन भरने के समय आवश्यक सावधानी बरते। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन संभव नहीं होगा।
9. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम सूची विज्ञापित पदों की पूर्ति तक वैध रहेगी।

<u>चयन प्रकिया :–</u>

1 सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पद पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छ.ग. व्यांवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची जारी की जायेगी।

2 प्रवर्गवार रिक्तियों के अनुपात में परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थियों को चयन हेतु चिन्हांकित किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम पद के विरूद्ध एक समान अंक अर्जित होने पर विभागीय भर्ती नियम में विहित शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांको को वरीयता दी जाएगी। इनमें भी समान अंक होने पर जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी एवं इसमें भी समान होने पर अंतिम निर्णय संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के पास सुरक्षित रहेगा।

3 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अर्थात संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पास सुरक्षित रहेगा।

4 विज्ञापित पद हेतु आवेदित उम्मीदवारों की व्यापम द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार एवं वर्गवार मेरिट सूची व्यापम

द्वारा विभाग को सौंपी जायेगी। मेरिट सूची के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच पश्चात चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी।

5 व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

6 व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी करने के बाद विभाग द्वारा काउंसिलिंग (councilling) की कार्यवाही की जावेगी। अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग (councilling) के समय समस्त दस्तावेज मूल रूप से तथा सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी। चयन एवं प्रतीक्षा सूची हेतु आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों को मेरिट अंकों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा।

परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम की वेबसाईट www.cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।

20/08/18

संयुक्त संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
नया रायपुर (छ.ग)